

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में
2022 सिविल रिट क्षेत्राधिकार वाद सं.1945 में

=====

1. अंकित कुमार शुक्ला, पिता- शिव किशोर शुक्ला, निवासी शुक्लान का पुरवा, नौधिया, थाना- संग्रामगढ़, जिला-प्रतापगढ़, उ. प्र.-230141,
2. अरुण कुमार, पिता- राज कुमार, निवासी उमरिया, पिपरा, हलिया, थाना-हलिया, जिला- मिर्जापुर, उ. प्र.-231211।
3. प्रदीप मिश्रा, पिता-अनिल मिश्रा, निवासी गाँव-पड़रहवा , पोस्ट आफिस -मझौना, थाना- कैम्पियरगंज, जिला-गोरखपुर, उ. प्र.-273165।
4. रजनीश कुमार मिश्रा, पिता- राम नारायण मिश्रा, निवासी गाँव-देवली (मिश्रपुरा), पोस्ट आफिस -सलामतपुर, गाज़ीपुर, थाना -सलामतपुर, जिला-गाज़ीपुर, उ. प्र.-275201 ।
5. प्रतीक सिंह, पिता-उदय नारायण सिंह, निवासी 257, सराय भारती, थाना -रसड़ा, जिला- बलिया, उ. प्र.-221712।
6. राहुल जोशी, पिता-आर. एन. जोशी, निवासी- 24/25 एम. एम. आई. जी., कोशलपुरी कॉलोनी, फेज-1, थाना- रेकाबगंज, जिला-फैजाबाद, उ. प्र.-224001।
7. मनीष कुमार सिंह, पिता-रवींद्र सिंह, निवासी लौदाह, दमा, माहनगर, थाना- मेहनगर, जिला- आजमगढ़, उ. प्र.-276204।
8. आलोक मोहन यादव, पिता-राजदेव यादव, निवासी सियारामपुर टोला, नंदपर, रामपुर, गोपालपुर, थाना- गुलथरिया, जिला-गोरखपुर, उ. प्र.-273007।
9. शुभम सिंह, पिता- महेन्द्र प्रताप सिंह, निवासी पुरे बाबूरीहा, पोस्ट आफिस-छिवालाहा, लालगंज, थाना-सरेनी, जिला-रायबरेली, उ. प्र.-229216।
10. सोनू कुमार पांडे, पिता- मुन्नान पांडे, निवासी इलिया, चंदौली, थाना -इलिया, जिला-चंदौली, उ. प्र.-232118।
11. स्नेही कुमारी, पिता-धीरेंद्र कुमार सिन्हा, निवासी बीरपुर अस्पताल रोड, शिव मंदिर के पास, वार्ड संख्या 1, बसंतपुर, थाना -बीरपुर, जिला-सुपौल, बिहार।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अपर मुख्य सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

6. प्रधान सचिव, योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. उप सचिव (प्रबंधन प्रकोष्ठ), सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
9. अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
10. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
11. संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
12. रॉबिन कुमार (अनारक्षित श्रेणी), रोल नंबर 225446, मेरिट क्रम सं. 2949।
13. ज्योति कुमारी (अनुसूचित जाति श्रेणी), रोल नंबर 212173, मेरिट क्रम सं. 2950।
14. सुप्रिया कुमारी एसटी श्रेणी), रोल नंबर 210416, मेरिट क्रम सं. 2678।
15. मो. इरशाद अंसारी (ईबीसी श्रेणी), रोल नंबर 224284, मेरिट क्रम सं. 2945।
16. प्रवीण कुमार (बी. सी. श्रेणी), रोल नंबर 210461, मेरिट क्रम सं. 2934।
17. अंकिता कुमारी (बी. सी. महिला श्रेणी), रोल नंबर 212350, मेरिट क्रम सं. 2847।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2021 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13498

=====

1. सुधांशु कुमार, पिता- बजिन्द्र सिंह, निवासी- गाँव कटौना, थाना- कतरीसराय, जिला नालंदा
2. गौरव, पिता- लाल बाबू ठाकुर, निवासी माँ लक्ष्मी परिसर, 403, ब्लॉक बी, आई.ए.एस. कॉलोनी, थाना- रूपसपुर, जिला पटना।
3. अंकित सिंह, पिता- श्रीराम सिंह, निवास- रानीपुर, दिघवाड़ा, थाना- दरियापुर, जिला सारण।
4. शुभम गुप्ता, पिता- राधे श्याम गुप्ता, निवासी 605/1, कानपुर रेलवे लाइन के पास, सी. पी. मिशन कम्पाउंड, थाना- सिपरी, जिला झांसी (उत्तर प्रदेश)
5. नीरज कुमार दास, पिता- चतुरानंद दास, निवास-19 गोपाल विहार कॉलोनी, थाना- सदर बाजार, जिला आगरा (उत्तर प्रदेश)।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।
3. प्रधान सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।

4. प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. प्रधान सचिव, योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
9. अध्यक्ष के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।
10. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
11. संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
12. सत्यम कुमार, पिता- श्री सुशील कुमार मंडल, निवासी गाँव और पोस्ट आफिस -वलथी महेशपुर, थाना -करसेला, जिला-कटिहार, पिन कोड-854101।
13. सुनील कुमार, पिता- श्री उमा चरण गुप्ता, निवास- मोहल्ला प्लस, पोस्ट आफिस- प्लस, थाना- शेखपुरा, जिला-शेखपुरा, पिन कोड-811105।
14. ऋषिकेश रंजन, पिता- श्री महेंद्र राम, चित्रगुप्तपुरी मणिपुर, वार्ड No.-1, थाना -काजीमुहमदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, पिन कोड-842001।
15. गौरव कुमार, पिता- सुबोध कुमार चौरसिया, निवासी गाँव और पोस्ट-मदैया, थाना -परबत्ता, जिला-खगड़िया, पिन कोड-851212।
16. सोनू, पिता- श्री जगदीश साहू, निवासी गाँव-सोहाता, पोस्ट आफिस -गिरिधपट्टी, थाना - छातापुर, जिला-सुपौल, पिन कोड-852137।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 6094

=====

1. शशांक शेखर सांडिल्य, पिता- अनंत नारायण तिवारी, निवास गाँव-पारसिया, थाना -ब्रह्मपुर, जिला- बक्सर।
2. सुधांशु कुमार, पिता- बजेंद्र सिंह, निवास गाँव-कटौना, थाना -कतरिसराई, जिला-नालंदा।
3. राजकुमार, पिता- संजय कुमार सिंह, निवासी- राणा प्रताप नगर, चास, बोकारो, थाना -चास, जिला- बोकारो (झारखंड) ।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अपर मुख्य सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. प्रधान सचिव, योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. उप सचिव (प्रबंधन प्रकोष्ठ), सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
9. अध्यक्ष के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।
10. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
11. संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

.....उत्तरदाता/ओं

=====

के साथ

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 3389

=====

नितेश कुमार, पिता- मदन मोहन कर्ण, निवासी मोहल्ला-वार्ड संख्या 15, बाराह पथेर समस्तीपुर, थाना - समस्तीपुर मफसिल, जिला-समस्तीपुर के निवासी हैं।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अपर मुख्य सचिव, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. प्रधान सचिव, योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार, पटना।
8. उप सचिव (प्रबंधन प्रकोष्ठ), सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना।
9. अध्यक्ष के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग अपने, पटना।

10. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
 11. संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
 12. रॉबिन कुमार, (यू. आर. श्रेणी), अनुक्रमांक 225446, मेरिट क्र. सं.2949

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

(2022 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 1945 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री मुकेश कुमार
 उत्तरदाताओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी11)
 बीपीएससी के लिए : श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
 श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता
 श्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता

(2021 के सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामले संख्या 13498 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री पी. एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री राजेंद्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री भोला कुमार, अधिवक्ता
 श्री हर्ष सिंह, अधिवक्ता
 श्री मुकेश कुमार,
 उत्तरदाता/ओं के अधिवक्ता : श्री पी. के. वर्मा, ए. ए. जी-3
 श्री सुमन कुमार झा, ए. ए. जी.-3 के एसी
 बी. पी. एस. सी. के लिए : श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री संजय पांडे, अधिवक्ता
 श्री निशान कुमार झा, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2022 के 6094 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री मुकेश कुमार
 उत्तरदाताओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी 11)
 श्री सुशील कुमार, जीपी-22
 बीपीएससी के लिए : श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री संजय पांडे, अधिवक्ता

श्री निशांत कुमार झा, अधिवक्ता

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2023 के 3389 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री भोला कुमार,

उत्तरदाता/ओं के अधिवक्ता : श्री सुशील कुमार (जीपी 22)

श्री के. के. सिंह, अधिवक्ता

=====

भारत का संविधान --- अनुच्छेद 14, 16, 226 --- बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (सिविल इंजीनियरिंग) के पद के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा प्रकाशित अंतिम परिणाम को इस आधार पर चुनौती देने के लिए रिट याचिका कि यह केवल योग्यता के आधार पर तैयार किया गया था, न कि योग्यता सह विकल्प (वरीयता के अनुसार) के आधार पर जैसा कि अधिसूचना दिनांक 20.02.2021 के तहत अनिवार्य था।

निष्कर्ष: वर्तमान मामले में, हालांकि बीपीएससी ने सहायक अभियंता (सिविल) का चयन किया, लेकिन उन्हें अलग-अलग विभागों के लिए चुना गया, जो अलग कैडर का गठन करते हैं--- 2017 के विज्ञापन संख्या 2 के आधार पर, विभिन्न विभागों में सेवा के संबंध में उम्मीदवारों से विकल्प मांगा गया था। मेधावी उम्मीदवार अलग-अलग और विशिष्ट कैडर का गठन करने वाले अपने पसंदीदा विभागों में नियुक्त होने के हकदार थे---अगर ऐसा किया जाता, तो याचिकाकर्ताओं की तरह अनारक्षित उम्मीदवारों का रिक्त आरक्षित श्रेणी में स्वतः ही प्रवेश हो जाता और ऐसी स्थिति में कट-ऑफ अंक स्वतः ही कम हो जाता--- न तो राज्य सरकार और न ही बीपीएससी इस तरह की कवायद की जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न विभागों में लगभग 140 सीटें रिक्त रह गई--- ऐसी परीक्षाओं में, जहां विभिन्न संवर्गों के पदों को भरा जाना होता है, यदि वरीयता आधारित आवंटन और मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों (एमआरसी) के आधार पर योग्यता-सूची का वितरण और एमआरसी द्वारा ली गई रिक्त सीटों को अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरने पर विचार नहीं किया जाता है, तो आरक्षण के सिद्धांतों के संबंध में उलट-पुलट की स्थिति पैदा हो जाएगी---रिट याचिकाएं स्वीकार की गई---प्रतिवादियों को इस आदेश की तिथि से 90 दिनों के भीतर अंतिम चयन सूची पर फिर से विचार करने और अनारक्षित उम्मीदवार के लिए कट-ऑफ अंक को फिर से लिखने का निर्देश दिया गया। (पैरा- 2-3, 67-71)

2010 (7) एससीसी 234

... पर भरोसा किया गया।

(1996) 3 एससीसी 253, (2018) 2 एससीसी 656

... विभेदित।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी

सीएवी निर्णय

तिथि- 07-02-2025

1. कानून और तथ्यों के समान प्रश्नों वाले रिट याचिकाओं के इन समूह की सुनवाई एक साथ की गई है और यह न्यायालय एक समग्र निर्णय द्वारा पूर्व-उल्लिखित रिट याचिकाओं का निपटारा करने के लिए निम्नलिखित निर्णय देने के लिए आगे बढ़ता है।

2. बिहार लोक सेवा आयोग (इसके बाद संक्षेप में "बी. पी. एस. सी". के रूप में संदर्भित) ने बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (सिविल इंजीनियरिंग) के पद के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए विज्ञापन संख्या 02/2017 वाला एक विज्ञापन जारी किया। सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले याचिकाकर्ताओं ने अनारक्षित श्रेणी के तहत विज्ञापन के खिलाफ आवेदन किया और उनके आवेदन और उम्मीदवारी को क्रम में पाते हुए, याचिकाकर्ताओं को अनुक्रमांक आवंटित किए गए और प्रवेश पत्र जारी किए गए। याचिकाकर्ता प्रारंभिक परीक्षण (पीटी) के लिए उपस्थित हुए, जो 15.09.2018 को आयोजित किया गया था और परिणाम में सफल घोषित किया गया था जो 30.01.2019 को प्रकाशित किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता 27.03.2019 से 31.03.2019 के बीच आयोजित मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए और उन्हें फिर से 24.01.2021 को प्रकाशित परिणामों में सफल घोषित किया गया। इसके बाद, बी. पी. एस. सी. ने उन उम्मीदवारों जिन्होंने मुख्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त की थी के लिए साक्षात्कार के लिए कार्यक्रम और निर्देश 03.02.2021 को प्रकाशित किए, जो 22.02.2021 से 13.03.2021 तक आयोजित की जानी थी। बी. पी. एस. सी. ने अपनी वेबसाइट पर "महत्वपूर्ण जानकारी" शीर्षक से 20.02.2021 को एक और अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया कि साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को विभिन्न विभागों के लिए निर्धारित प्रपत्र II में अपनी अधिमानता भरने और जमा करने की आवश्यकता थी, जो विभागवार उपलब्ध रिक्तियों के साथ बी. पी. एस. सी. की वेबसाइट पर उपलब्ध थे। दिनांक 20.02.2021 की अधिसूचना और प्रपत्र II के साथ संलग्न विभागीय रिक्तियों के अवलोकन से निम्नलिखित का पता चलता है:-

i. उम्मीदवारों के लिए फॉर्म II में अपनी अधिमानता को सूचित करना और साक्षात्कार के समय इसे जमा करना अनिवार्य था।

ii. ऐसे विभाग के लिए किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में उम्मीदवार द्वारा कोई अधिमानता नहीं दी गई थी और विभाग का उक्त पद योग्यता सूची में नीचे वाले अगले उम्मीदवार को आवंटित किया जाएगा, जो उसकी अधिमानता के अनुसार होगा।

iii. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी विभाग के संबंध में अधिमानता का उल्लेख करने में विफल रहता है, तो भले ही उम्मीदवार को योग्यता सूची में रखा गया हो, उम्मीदवार को किसी भी विभाग में कोई पद/रिक्त स्थान आवंटित नहीं की जाएगी, भले ही वह रिक्त रहे।

iv. उम्मीदवार के द्वारा इंगित अधिमानता में संशोधन के लिए भविष्य में किसी भी आवेदन पर विचार या सुनवाई नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता तदनुसार अपनी-अपनी तिथियों पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए और अपनी अधिमानताएं प्रस्तुत कीं।

3. साक्षात्कार में याचिकाकर्ताओं ने पाया कि उनके सामने रखे जा रहे प्रश्न फॉर्म II में उनके द्वारा इंगित पहली अधिमानता पर आधारित थे और याचिकाकर्ताओं के अपने मूल्यांकन में, याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन याचिकाकर्ताओं को आश्चर्यचकित करते हुए, उत्तरदाता बी. पी. एस. सी. द्वारा 14.07.2021 पर प्रकाशित अंतिम परिणाम में, उन्होंने पाया कि इसे पूरी तरह से योग्यता के आधार पर तैयार किया गया था, न कि योग्यता सह चयन (अधिमानता के अनुसार) के आधार पर जैसा कि अधिसूचना दिनांक 20.02.2021 के तहत अनिवार्य था।

4. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने पाया कि उनके नाम योग्यता सूची में नहीं थे क्योंकि उनके कुल अंक या तो अनारक्षित श्रेणी (477 अंक) के लिए कट-ऑफ अंकों के बराबर या उससे कम थे, जो केवल योग्यता के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार करके प्राप्त किए गए थे, न कि योग्यता सह चयन के आधार पर। योग्यता सह चयन के आधार पर परिणाम तैयार नहीं करने का कारण पूछने पर बताया , कि चूंकि बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए सहायक अभियंताओं (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) की नियुक्ति के लिए जारी एक अन्य विज्ञापन में जिसका विज्ञापन संख्या 03/2017 है, के उक्त विज्ञापन संख्या 03/2017 के उम्मीदवारों से अधिमानता नहीं मांगी थी, इसलिए, वर्तमान विज्ञापन (विज्ञापन संख्या 02/2017) में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों से अधिमानता लेने के बावजूद, परिणाम योग्यता सूची के आधार पर प्रकाशित किए जा रहे थे, न कि योग्यता सह विकल्प के आधार पर और विज्ञापन के लिए नोडल विभाग यानी सड़क निर्माण विभाग को भेजे जा रहे थे।

5. याचिकाकर्ता बी. पी. एस. सी. के तर्क को अत्यधिक बेतुका बताते हैं क्योंकि विज्ञापन संख्या 03/2017 जो एक अलग पद पर नियुक्ति के लिए प्रकाशित किया गया था और 7 विभागों में से

केवल 4 जिनके लिए वर्तमान विज्ञापन (विज्ञापन संख्या 02/2017) जारी किया गया था, का वर्तमान विज्ञापन पर कोई असर नहीं है। उपरोक्त इस तथ्य से और स्पष्ट होगा कि दोनों विज्ञापनों में शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता अलग थी और दोनों विज्ञापनों के लिए प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार अलग-अलग तिथियों पर आयोजित किए गए थे और संबंधित परिणाम भी पूरी तरह से अलग-अलग तिथियों पर प्रकाशित किए गए थे। वास्तव में विज्ञापन संख्या 03/2017 के लिए चयन प्रक्रिया बी. पी. एस. सी. द्वारा वर्तमान विज्ञापन के लिए अधिसूचना दिनांक 20.02.2021 (अनुलग्नक 3 श्रृंखला) प्रकाशित होने से बहुत पहले समाप्त हो गई थी। जिन तिथियों पर दोनों विज्ञापनों के तहत परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित किए गए और परिणाम घोषित किए गए थे, उन्हें दर्शाने वाला एक चार्ट को इस माननीय न्यायालय की सुविधा और विचारार्थ के लिए दर्शाया गया है:

	विज्ञापन 03/ 2017	विज्ञापन 02/2017
प्रारंभिक परीक्षा	19.09.2018	15.09.2018
पीटी का परिणाम	—	30.01.2019
लिखित परीक्षा	05.08.2019 से 09.08.2019	27.03.2019 से 31.03.2019
लिखित परीक्षा का परिणाम	12.05.2020	24.01.2021
साक्षात्कार	15.06.2020 से 19.06.2020	22.02.2021 से 13.03.2021
अंतिम परिणाम	20.06.2020	14.07.2021

6. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं को संबंधित श्रेणियों में विभागवार कट ऑफ के बारे में अंधेरे में रखा गया है, जिसके आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किए जाने चाहिए थे और अधिसूचना दिनांक 20.02.2021 के तहत अनिवार्य रूप से प्रकाशित किए जाने चाहिए थे।

7. याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि बी. पी. एस. सी. द्वारा अपनी अधिसूचना से विचलन के लिए विवादित अंतिम परिणाम में दिया गया कारण पूरी तरह से मनमाना, बेतुका और कानून की नजर में उतना ही अस्थिर है क्योंकि, सहायक अभियंता (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) के चयन के लिए जारी किए गए एक अलग विज्ञापन यानि विज्ञापन संख्या 03/2017 में अपनाई गई प्रक्रिया का तत्काल विज्ञापन पर कोई असर नहीं पड़ता है।

8. याचिकाकर्ता द्वारा 13.09.2021 पर अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया गया था। तत्काल रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान और बी. पी. एस. सी. को मामले में एक व्यापक जवाबी हलफनामा

दायर करने में सक्षम बनाने के लिए 23.08.2021 को मामले को स्थगित कर दिया गया था जिसके बाद, सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना, जो विज्ञापन संख्या 02/2017 के लिए नोडल विभाग है, ने अपनी वेबसाइट पर 25.08.2021 को उसके बारे में एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसके तहत विभाग द्वारा योग्यता सह चयन के आधार पर सफल उम्मीदवारों को विभाग आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद विभाग की वेबसाइट पर एक लिंक प्रदान किया गया, जिसमें उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से उन सभी 7 विभागों के संबंध में अपनी अधिमानता देनी थी, जिनके लिए मूल रूप से मांग भेजी गई थी।

9. कि उपरोक्त अधिसूचना चयन प्रक्रिया को और बदल देती है जिससे लिखित परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं जैसे उम्मीदवारों को नुकसान होता है। यह कहा गया है कि विज्ञापन के संबंध में जारी किए गए फॉर्म II के साथ पठित दिनांक 20.02.2021 अधिसूचना के संदर्भ में, उम्मीदवारों ने साक्षात्कार के चरण में अपनी अधिमानता पहले ही जमा कर दी थी। उक्त अधिसूचना को आज तक वापस नहीं लिया गया है और केवल इस विशिष्ट परिसर में लागू नहीं किया गया था कि किसी अन्य विज्ञापन के संबंध में इसी तरह की कवायद नहीं की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि परिणाम दिनांक 20.02.2021 की अधिसूचना के अनुसार सख्ती से प्रकाशित किए गए, तो याचिकाकर्ता जैसे उम्मीदवार, जिन्होंने वर्तमान परिणाम में योग्यता सूची में जगह नहीं बनाई है, उन्हें भी चुने जाने का मौका मिलता। तत्काल रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान हुए उपरोक्त घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता रिट आवेदन में किए गए अभिवचनों में संशोधन की मांग करते हैं और रिट याचिका के पैराग्राफ 18 के बाद रिट याचिका में उसी विवाद का उल्लेख करते हुए आगे के अभिवचनों को शामिल करते हैं जैसा कि सार में ऊपर कहा गया है। और इस अंतर्वर्ती आवेदन के माध्यम से रिट आवेदन में आगे जोड़ा गया है कि आर. सी. डी. की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी और याचिकाकर्ताओं के सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर, 75 से अधिक मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों (एम. आर. सी.) को अधिमानता के क्रम में पहला विभाग प्राप्त करने के लिए उनकी संबंधित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी सबसे पसंदीदा विभाग मिल सके। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन अनारक्षित श्रेणी/सामान्य श्रेणी के रिक्तियों/पदों को आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ भरना जो याचिकाकर्ताओं से कम मेधावी हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। इसके अलावा, अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि कुल आरक्षण सभी उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि वर्तमान विवादित एम. आर. सी. उम्मीदवारों को उनके उच्च अधिमानताएँ के संबंध में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के विपरीत समायोजित किया जाता है और सामान्य श्रेणी में उनके द्वारा खाली की गई सीटें अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित की जाती हैं, कुल आरक्षण संभवतः सभी उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक होगा जो विज्ञापन सं.

02/2017 पर लागू होता था। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि सबसे पसंदीदा विभाग/पद/सेवा प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी श्रेणियों में मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों (एम. आर. सी.) के प्रवास के कारण पैदा हुई रिक्ति को सामान्य पूल उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। याचिकाकर्ता सड़क निर्माण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को अस्थिर होने का जोरदार विरोध करता है, पहला इस तथ्य के कारण कि यह विज्ञापन संख्या 02/2017 के संबंध में प्रकाशित दिनांक 20.02.2021 की अधिसूचना के संदर्भ में परिकल्पित चयन प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग है और दूसरा क्योंकि यह मनमाना, अव्यवहारिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा 08.12.2021 को फिर से एक अंतर्वर्ती आवेदन 2 दायर किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि परिणाम दिनांक 20.02.2021 की अधिसूचना के अनुसार सख्ती से प्रकाशित किए गए थे, तो याचिकाकर्ताओं जैसे उम्मीदवार, जिन्होंने वर्तमान विवादित परिणाम में योग्यता सूची में जगह नहीं बनाई होगी, उन्हें भी चयन का मौका मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार है, जैसे अनुसूचित जाति श्रेणी, जिसने अनारक्षित श्रेणी में अर्हता प्राप्त की है, को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में अपनी पहली अधिमानता नहीं मिलती है, उसे अपनी पहली अधिमानता के विभाग के आवंटन के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, अनुसूचित जाति श्रेणी का अंतिम उम्मीदवार योग्यता सूची से बाहर हो जाएगा और अनारक्षित श्रेणी में एक रिक्ति पैदा हो जाएगी, जिसे अनारक्षित श्रेणी के अगले उम्मीदवार द्वारा भरा जाना होगा, जिसने योग्यता सूची में जगह नहीं बनाई होगी, यानी याचिकाकर्ताओं जैसे किसी व्यक्ति द्वारा।

11. बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें उन्होंने दलील दी थी कि याचिकाकर्ता बी. पी. एस. सी. द्वारा प्रकाशित विवादित परिणाम से व्यथित हैं और वे परिणाम के पुनः प्रकाशन के लिए बी. पी. एस. सी. के खिलाफ कुछ निर्देश भी चाहते हैं। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं की शिकायत बी. पी. एस. सी. और उसके अधिकारियों से संबंधित है जिन्हें रिट आवेदन में उत्तरदाता सं. 9 से 11 के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार, वे रिट आवेदन में किए गए कथनों का विशिष्ट उत्तर देने के लिए सक्षम हैं।

12. अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 3 याचिकाकर्ताओं द्वारा 07.02.2022 को दायर किया गया था। कि उत्तरदाता सड़क निर्माण विभाग ने ज्ञापन संख्या 6252 (एस) दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से निर्णय लिया था कि पहले की विवादित अधिसूचना (अनुलग्नक 8) के अनुसार प्राप्त 1241 सफल उम्मीदवारों को योग्यता सह पसंद के आधार पर कथित रूप से विभागवार आवंटित किया गया और तदनुसार सफल उम्मीदवारों को विभाग आवंटित किए गए।

13. आर. सी. डी. द्वारा विभाग के आवंटन के कारण कुछ विसंगतियां हुई हैं जैसे कि रोस्टर आरक्षण का उल्लंघन, कुछ विभागों में सीटों की संख्या में वृद्धि और कुछ विभागों में सीटों की संख्या में कमी। आरसीडी की आधिकारिक वेबसाइट पर 31.12.2021 पर प्रकाशित विभाग आवंटन की सूची के अनुसार बिहार सरकार में 122 मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हैं जो अपनी पसंद के क्रम में सबसे पसंदीदा विभाग प्राप्त करने के लिए अपनी-अपनी श्रेणियों में चले गए हैं। लेकिन योग्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के प्रवास के कारण रिक्तियों को याचिकाकर्ताओं सहित उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरा गया है, जिन्हें संयुक्त योग्यता/सामान्य योग्यता सूची में अगले स्थान पर रखा गया है यानी याचिकाकर्ता। उपरोक्त प्रवास भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 और 16 के अनुरूप है इसलिए, विज्ञापन संख्या 02/2017 के अनुसार यू. आर. श्रेणी में दिखाई गई रिक्तियों को याचिकाकर्ताओं और यू. आर. श्रेणी के अन्य समान रूप से स्थित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना चाहिए, जिन्हें संयुक्त योग्यता/सामान्य योग्यता सूची में अगले स्थान पर रखा गया है यानी याचिकाकर्ता। कि इस मोड़ पर, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के ध्यान में लाना उचित समझा कि मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में अब तक नियुक्ति का संबंध है, भारत संघ बनाम रमेश राम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है जिसे 2010 (7) एस. सी. सी. 234 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें पैराग्राफ 39 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

"एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, वह यह है कि इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार कुल आरक्षण सभी उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को उनकी उच्च अधिमानताओं के संबंध में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के खिलाफ समायोजित किया जाता है और सामान्य श्रेणी में उनके द्वारा खाली की गई सीटों को अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित किया जाता है, तो कुल आरक्षण संभवतः सभी उपलब्ध पदों के 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।"

14. **रमेश राम** (उपरोक्त) के पैरा-42 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो नियम-16 (2) का लाभ उठाते हैं और अंततः आरक्षित श्रेणी में समायोजित किए जाते हैं, उन्हें कुल आरक्षण कोटा की गणना के उद्देश्य से आरक्षित पूल के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए। इसलिए सामान्य पूल में मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा खाली की गई सीटों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को दिया जाएगा। यह एकमात्र व्यवहार्य समाधान के रूप में इन सामान्य

श्रेणी की सीटों (मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा खाली) को अपेक्षाकृत कम रैंक वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित करने के परिणामस्वरूप कुल उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण होगा।

15. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं ने अपर मुख्य सचिव, सड़क निर्माण विभाग को 07.01.2022 के साथ-साथ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को 08.01.2022 को अभ्यावेदन दिया है जिसमें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा मेधावी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के प्रवास के कारण खाली यू. आर. सीटों को भरने का अनुरोध किया है, जो संयुक्त योग्यता/सामान्य योग्यता सूची में अगले स्थान पर हैं यानि याचिकाकर्ता। हालाँकि, उत्तरदाताओं द्वारा उनके प्रतिवेदन पर अभी विचार किया जाना बाकी है।

16. बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जवाबी हलफनामा 01.02.2022 को दायर किया गया था। यह कहा गया है कि लिखित (मुख्य) परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन के बाद, आयोग ने सफल उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कार्यक्रम और निर्देश प्रकाशित किए। साक्षात्कार 22.02.2021 से 19.04.2021 और फिर 25.06.2021 से 27.06.2021 तक आयोजित किया गया था। यह आगे कहा गया है कि आयोग ने फिर से 20.02.2021 को एक शुद्धिपत्र प्रकाशित किया और पदों की संख्या घटाकर 1257 कर दी गई है। आयोग ने दिनांक 20.02.2021 को नोटिस जारी कर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय विभिन्न विभागों के लिए अधिमानताओं के लिए फॉर्म II भरने के लिए सूचित किया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विज्ञापन सं. 02/2017 के तहत उन विभागों से प्राप्त रिक्तियों को देखते हुए 7 विभागों के लिए उम्मीदवारों से अधिमानताएं मांगी गई थीं। यह आगे कहा गया है कि विज्ञापन सं. 03/2017 के तहत जिसे विज्ञापन सं. 02/2017 के साथ सहायक अभियंता (मैकेनिकल) की नियुक्ति के लिए प्रकाशित किया गया था, 4 विभागों से रिक्तियां प्राप्त हुईं, लेकिन उन विभागों के लिए उम्मीदवारों से कोई अधिमानता नहीं मांगी गई, इसलिए आयोग ने अपनी दिनांक 07.07.2021 की बैठक में सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की सूची सफल उम्मीदवारों को विभागों के आवंटन के बिना सड़क निर्माण विभाग को भेजने का निर्णय लिया।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह यहाँ बताना प्रासंगिक है कि आयोग ने केवल चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दिनांक 20.02.2021 की सूचना प्रकाशित की। आयोग का कभी भी अधिमानता के आधार पर अंतिम परिणाम प्रकाशित करने का इरादा नहीं था। इसलिए, अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर प्रकाशित किया गया था। आयोग ने विज्ञापन सं. 03/2017 और विज्ञापन सं 04/2017 में बिहार सरकार के विभिन्न

विभागों में सहायक इंजीनियर, मैकेनिकल और सिविल में नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम भी प्रकाशित किया और उसके बाद, अनुसंशा भेजी गई हैं। वास्तव में, आयोग ने सहायक इंजीनियर की नियुक्ति के लिए किसी भी विज्ञापन के तहत अधिमानता के आधार पर अंतिम योग्यता सूची कभी प्रकाशित नहीं की। विद्वान वरिष्ठ वकील ने यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक पाया कि इससे पहले भी आयोग ने विभाग आवंटन के बिना ही लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर विज्ञापन सं. 01/2011 में सफल उम्मीदवारों की अनुसंशा पत्र संख्या 166 दिनांक 23.09 2013 के माध्यम से सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति के लिए सड़क निर्माण विभाग को भेजी थी।

18. राज्य की ओर से 19.05.2022 को जवाबी हलफनामा दायर किया गया था। उत्तरदाता के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अनुरोध किया कि योग्यता सह विकल्प के आधार पर विभागों को आवंटित करने की कवायद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 8499/2012 (सिविल संख्या 31979/2010 से उत्पन्न) आलोक कुमार पंडित बनाम असम राज्य और अन्य के पैरा संख्या 21 में निर्धारित सिद्धांत, सिविल अपील सं 2010 का 4310-4311 (2008 के एस. एल. पी. (सी) संख्या 13571-72 के पैरा सं. 32 और 50 (1) ii) और (iv) को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया गया था और उसके बाद उसी पर विचार करते हुए, तदनुसार विभागों का आवंटन किया गया। की गई कवायद में, योग्यता और विकल्पों के आधार पर, अनारक्षित (मुक्त) श्रेणी में अर्हता प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणियों के कुछ उम्मीदवारों को उनकी आरक्षण श्रेणी में स्थानांतरित करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अनारक्षित श्रेणी में कई रिक्तियां खाली रहीं, क्योंकि आवंटन सफल उम्मीदवारों की सूची तक ही सीमित था।

19. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के लिए याचिकाकर्ता की ओर से जवाब 08.03.2023 को दायर किया गया था। विद्वान वकील का कहना है कि जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 4 के जवाब में, जवाब के तहत, यह कहा गया है कि उत्तरदाता आयोग ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि आयोग राज्य सरकार के नियमों और विनियमों से बंधा हुआ है। हालांकि, तत्काल मामले में, उत्तरदाता आयोग बिहार राज्य के दिशानिर्देशों और नियमों का पालन नहीं कर रहा है। सड़क निर्माण विभाग (आर. सी. डी.), बिहार सरकार की दिनांक 14.01.2022 की बैठक के कार्यवृत्त के खंड 2 के अनुसार यह स्पष्ट है कि बिहार सरकार के विधि विभाग की अनुसंशा पर अधिमानता का निर्णय जो बी.पी.एस.सी. ए.ई. (सिविल) 02/2017 दिनांक 31.12.2017 के लिए अंतिम आर. सी. डी. आवंटन अधिसूचना में दिए गए प्रपत्र-2 के माध्यम से उत्तरदाता आयोग (बी. पी. एस. सी.) की अधिमानता पर आधारित है ।

बी.पी.एस.सी. ए.ई.(सिविल) परिणाम दिनांक 14.07.2021 और 24.08.2021 में बिना अधिमानता के योग्यता के आधार पर 1241 छात्रों को चयनित किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आर. सी. डी. ने विधि विभाग, बिहार सरकार की अनुशंसा का पालन किया था जैसा कि खंड 2 में उल्लेख किया गया है और फिर बी. पी. एस. सी. ने भी राज्य विनियमन का पालन किया जैसा कि जवाबी-हलफनामा के अनुच्छेद संख्या 6 में कहा गया है, फिर बी. पी. एस. सी. अधिसूचना दिनांक 20.02.2021 और आर. सी. डी. द्वारा किए गए आवंटन द्वारा विज्ञापित आरक्षण सूची में भिन्नता क्यों है। उन्होंने इस संबंध में आगे प्रस्तुत किया कि आर. सी. डी. आवंटन बी. पी. एस. सी. परिणाम के आधार पर बिना अधिमानता के योग्यता पर विचार करने से आरक्षण रोलर का उल्लंघन होता है जो कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण है और इसने मेधावी आरक्षित उम्मीदवार (एम. आर. सी.) के प्रवास के कारण बनाई गई यू. आर. अनारक्षित श्रेणी में 122 रिक्त सीटें भी पैदा कर दी हैं। भारत संघ बनाम रमेश राम [2010 (7) एस. सी. सी. 234 में दर्ज] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में अच्छी तरह से तय किया गया है कि एम. आर. सी. उम्मीदवारों के सबसे पसंदीदा विभाग/सेवा/पद प्राप्त करने के लिए उनकी संबंधित श्रेणियों में प्रवास से उत्पन्न रिक्त को सामान्य पूल उम्मीदवारों (यू. आर., अनारक्षित श्रेणी) द्वारा भरा जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा-39 में उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि "एक महत्वपूर्ण पहलू जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, वह यह है कि इस न्यायालय के इंद्र साहनी बनाम भारत संघ मामले में फैसले के अनुसार कुल आरक्षण सभी उपलब्ध रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एम. आर. सी. उम्मीदवारों को उनकी उच्च अधिमानताओं के संबंध में आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के विपरीत समायोजित किया जाता है और सामान्य श्रेणी में उनके द्वारा खाली की गई सीटों को अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित किया जाता है, तो कुल आरक्षण संभवतः सभी उपलब्ध पदों के 50 प्रतिशत से अधिक हो सकता है।

20. यह सराहना की जा सकती है कि उक्त निर्णय, भारत संघ बनाम रमेश राम (2010 (7) एस. सी. सी. 234 में दर्ज) के पैरा-42 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा है कि एम. आर. सी. उम्मीदवार जो नियम-16 (2) का लाभ उठाते हैं और अंततः आरक्षित श्रेणी में समायोजित होते हैं, उन्हें कुल आरक्षण कोटा की गणना के उद्देश्य से आरक्षित पूल के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए। इसलिए सामान्य पूल में एम. आर. सी. उम्मीदवारों द्वारा खाली की गई सीटों की पेशकश सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को की जाएगी। यह एकमात्र व्यवहार्य समाधान है क्योंकि इन सामान्य श्रेणी की सीटों (एमआरसी उम्मीदवारों द्वारा खाली) को अपेक्षाकृत कम रैंक वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित करने के परिणामस्वरूप कुल उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण होगा। यह कि जवाबी

हलफनामे के पैराग्राफ 11 में दिए गए बयानों के जवाब में, यह दोहराया जाता है कि उत्तरदाता आयोग ने गलती से याचिकाकर्ताओं को अंतिम परिणाम दिनांक 14.07.2021 से हटा दिया था। यह कहा गया है कि उत्तरदाता आयोग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20.02.2021 [अनुलग्नक 3] की पूरी तरह से अवहेलना और उल्लंघन करते हुए अंतिम परिणाम तैयार किया है, जिसमें अंतिम परिणाम पूरी तरह से योग्यता अंकों के आधार पर तैयार किया गया था, जबकि चयन प्रक्रिया की योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि अंतिम चयन योग्यता-सह-विकल्प [अधिसूचना दिनांक 20.02.2021] के आधार पर होगा। इस प्रकार, उत्तरदाता आयोग की कार्रवाई न केवल सेवा कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन है, बल्कि वचन बहिष्कार के सिद्धांत द्वारा भी वर्जित है।

21. इस संबंध में आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू. आर. श्रेणी की कुल 719 सीटों का विज्ञापन विज्ञापन संख्या 02/2017 में किया गया था जैसा कि नीचे दिखाया गया है। हालाँकि, आर. सी. डी. आवंटन अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 के अनुसार अंतिम रूप से 579 यू. आर. उम्मीदवारों का चयन किया गया (अनुलग्नक-जी विभाग नीचे दिए गए हैं:

विभाग	बी. पी. एस. सी. 02/2017 अधिसूचना सुधार पत्र दिनांक 20.02.2021 के अनुसार सीटें	आरसीडी आवंटन के अनुसार सीटें (31.12.2021)	विज्ञापित आरक्षण सूची और आवंटित सीटों के बीच सीटों का विचलन
योजना (यू. आर.)	135	45	-90
एम. डब्ल्यू. आर. डी.	28	4	-24
डब्ल्यूआरडी	196	170	-26
आरसीडी	104	104	0
पीएचईडी	32	32	0
बीसीडी	54	54	0
आरडब्ल्यूडी	170	170	0
कुल सीटें	719	579	-140

22. उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि योजना और विकास विभाग में यू. आर. श्रेणी की 90 सीटें, एम. डब्ल्यू. आर. डी. में 24 सीटें और डब्ल्यू. आर. डी. विभागों की 26 सीटें खाली हैं। किसी भी श्रेणी के कट ऑफ अंक उस श्रेणी में आरक्षण रोस्टर के अनुसार विज्ञापित सीटों के अनुरूप अंतिम चयनित

उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। “यहाँ जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यूआर श्रेणी की 122 सीटें खाली हैं तो 477 यूआर श्रेणी के कट ऑफ अंक कैसे हो सकते हैं?” याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाता के प्रति न्यायालय में उठाया गया प्रश्न है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता संख्या 1, श्री सुधांशु कुमार जिनके पास योग्यता क्रम संख्या 503 है और सभी याचिकाकर्ताओं का चयन हो जाएगा यदि योग्यता में अगले स्थान पर रखे गए सामान्य पूल उम्मीदवारों द्वारा यूआर श्रेणी की 122 खाली सीटों को भरा जाता है, जैसा विद्वान अधिवक्ता द्वारा दृढ़ता पूर्वक कहा गया था।

23. जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 12 में दिए गए बयानों के जवाब में, यह कहा गया है कि आयोग को कानूनन, चल रही चयन प्रक्रिया के दौरान पहले से ही विज्ञापित और अधिसूचित प्रक्रिया को एकतरफा रूप से बदलने की अनुमति नहीं है, वह भी बाहरी सामग्री के आधार पर। यह दोहराया जाता है कि विज्ञापन संख्या 03/2017 सहायक अभियंता (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) की नियुक्ति से संबंधित है और पात्रता आवश्यकता, परीक्षा की तारीखें, रिक्तियों की संख्या आदि विचाराधीन विज्ञापन संख्या 02/2017 से पूरी तरह से अलग हैं। इसलिए, विज्ञापन संख्या 03/2017 से संबंधित कोई भी चूक या कार्य विज्ञापन संख्या 02/2017 के संबंध में चयन प्रक्रिया को बदलने/संशोधित करने के लिए एक वैध और कानूनी आधार नहीं हो सकता है और इस तरह के संकल्प दिनांक 07.07.2021 [जवाबी हलफनामे के लिए अनुलग्नक डी] कानून में गलत है और कानून की नजर में इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा यह विनम्रता से कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि रिक्तियां अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि कुल रिक्तियों की तुलना में कम संख्या में उम्मीदवारों का चयन किया गया था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को अन्य सफल उम्मीदवारों के अधिकारों में हस्तक्षेप किए बिना उनकी श्रेणी यानी अनारक्षित (यू. आर.) श्रेणी में ऐसे रिक्त पदों के लिए चुना/समायोजित किया जा सकता है।

24. सड़क निर्माण विभाग की ओर से जवाबी हलफनामा 06.08.2024 को दायर किया गया था। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि लोक स्वास्थ्य विभाग (पी. एच. ई. डी.), जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू. आर. डी.), भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग और लघु जल संसाधन विभाग संसाधन विभाग (एम. डब्ल्यू. आर. डी.) और कुछ अन्य कार्य विभाग के संबंध में सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) केवल एक नोडल विभाग है। आर. सी. डी. को केवल उन विभागों के संबंध में बी. पी. एस. सी. द्वारा भेजे गए चयनित उम्मीदवारों के नामों को व्यक्तिगत रूप से संप्रेषित और अग्रेषित करने की आवश्यकता होती है। 15.05.2024 को माननीय न्यायालय ने पैरा-5 से 7 तक का आदेश पारित किया, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

"याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक उनकी जानकारी है, 122 या उससे अधिक रिक्तियां थीं जो उम्मीदवारों द्वारा दी गई अधिमानता/पसंद के अनुसार किसी विशेष विभाग में नियुक्ति के समय प्रवास के माध्यम से एमआरसी और यूआर उम्मीदवारों की परस्पर क्रिया के कारण हुई थीं।

इस मामले को ध्यान में रखते हुए इस अदालत की राय है कि राज्य सरकार को सहायक अभियंता (सिविल) सेवा में शेष रिक्तियों और 2017 के विज्ञापन सं.02 के आधार पर की गई परीक्षा के आधार पर चयन की वास्तविक संख्या के साथ आना चाहिए। इतनी संख्या में रिक्तियों की गणना करने के बाद राज्य सरकार संशोधित कट ऑफ मार्क भी लाएगी। राज्य सरकार बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की विशेषज्ञता की मदद लेने के लिए स्वतंत्र होगी"।

25. माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जवाब देने वाला उत्तरदाता निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करता है:

26. बी. पी. एस. सी. द्वारा 2017 के विज्ञापन सं.02 के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए चयन किया गया था जो विभिन्न कार्य विभागों द्वारा अलग से की गई रिक्तियों की मांग पर आधारित था, अर्थात् (i) आर. सी. डी.-236, (ii) पी. एच. ई. डी.-64, (iii) एम. डब्ल्यू. आर. डी.-31 (iv) डब्ल्यू. आर. डी.-284 (v) बी. सी. डी.-122 (vi) आर. डब्ल्यू. डी.-250 (vii) योजना और विकास विभाग -270.

27. इस प्रकार, संबंधित विभागों के लिए बी. पी. एस. सी. द्वारा जिन रिक्तियों के लिए नामों की अनुसंधान की जानी थी, उनकी कुल संख्या 1257 थी।

28. बी. पी. एस. सी. ने चयन प्रक्रिया शुरू करने के बाद 16 शारीरिक रूप से विकलांग (पी. एच.) उम्मीदवारों की अनुपलब्धता बताते हुए 1257 रिक्तियों के विपरीत कुल 1241 उम्मीदवारों के नामों की अनुसंधान संशोधित अनुसंधान दिनांक 24.08.2021 के द्वारा की। हालाँकि, अनुसंधान न तो विभागवार की गई थी और न ही उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म-॥ में की गई पसंद/अधिमानता के बाद की गई थी।

29. यह ध्यान दिया जा सकता है कि जिन सभी विभागों ने चयन और अनुसंशा के लिए बीपीएससी से अपनी अलग मांग की थी, वे स्वतंत्र और अलग-अलग विभाग हैं और सहायक अभियंता (सिविल) का संवर्ग उन विभागों में से प्रत्येक में अलग-अलग संवर्ग हैं।

30. चूंकि आर. सी. डी. को एक नोडल विभाग बनाया गया था, इसलिए बी. पी. एस. सी. की उक्त अनुसंशा को सभी विभागों को आवंटन के लिए आर. सी. डी. को भेजा गया था। आर. सी. डी. को केवल अनुशंसित उम्मीदवारों को उनके संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए आवंटित करने की आवश्यकता थी, लेकिन बी. पी. एस. सी. ने व्यक्तिगत उम्मीदवारों से योग्यता-सह-पसंद/अधिमानता लेने के बाद विभागवार नामों की अनुसंशा नहीं की थी, जैसा कि आवश्यक था, आर. सी. डी. को विभाग के आवंटन के उद्देश्य से अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा योग्यता-सह-पसंद/अधिमानता के अनुसार प्रक्रिया करनी थी।

31. यह प्रस्तुत करना प्रासंगिक है कि 719 (16 पी. एच. उपलब्ध नहीं) के समेकित अनारक्षित रिक्तियों के लिए कुल 703 उम्मीदवारों की अनुसंशा की गई थी। 703 अनारक्षित उम्मीदवारों (अनुलग्नक-बी) की इस सूची में मेधावी आरक्षित श्रेणी (एमआरसी) के उम्मीदवार भी शामिल थे। इसके अलावा अनुसूचित जाति की 147 रिक्तियों के लिए 147 उम्मीदवारों, अनुसूचित जनजाति की 4 रिक्तियों के लिए 4 उम्मीदवारों, ईबीसी की 230 रिक्तियों के लिए 230 उम्मीदवारों, बी. सी. की 92 रिक्तियों के लिए 92 उम्मीदवारों और बी. सी. लेडी की 65 रिक्तियों के लिए 65 उम्मीदवारों की अनुसंशा की गई थी। स्पष्ट रूप से, उपरोक्त संख्याएँ ऊपर उल्लिखित 7 अलग-अलग विभागों से संबंधित रिक्तियों की समेकित संख्याएँ हैं।

32. व्यक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत उनकी योग्यता सह पसंद/अधिमानता के आधार पर उम्मीदवारों को विभाग का आवंटन करते समय, एम. आर. सी. यानि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनसे वह एम. आर. सी. मूल रूप से संबंधित थे, पर भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार विचार किया गया था। तदनुसार, एम. आर. सी. उम्मीदवार द्वारा अपनी आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार की तुलना में दिए गए विभाग की अधिमानता को योग्यता सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर अनुमति दी गई थी। ऐसा करते समय अनारक्षित श्रेणी के तहत 124 एम. आर. सी. को उनके संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में विभाग का विकल्प दिया गया था। तदनुसार, आरक्षित श्रेणी के उन उम्मीदवारों को उक्त एम. आर. सी. द्वारा छोड़ा गया विभाग मिल गया।

33. एन. आई. सी. द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योग्यता-सह-पसंद/अधिमानता के आधार पर विभाग के आवंटन के बाद, सभी 1241 अनुशंसित उम्मीदवारों को संबंधित विभागों द्वारा नियुक्ति दी गई। इन 1241 उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र वर्ष 2021-22 में ही जारी किए गए हैं

और इसके परिणामस्वरूप वे संबंधित विभागों में अपने पदों पर शामिल हो गए हैं और 2 वर्षों से अधिक से काम कर रहे हैं। इस प्रकार वास्तव में सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए विज्ञापन सं.02/2017 के तहत कोई रिक्ति भरी जाने के लिए नहीं बची है, सिवाय पीएच उम्मीदवारों के लिए 16 को छोड़कर, जिसकी अनुपलब्धता के कारण बीपीएससी द्वारा अनुसंशा नहीं की गई थी।

34. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि बी. पी. एस. सी. द्वारा की गई अनुसंशा के अनुसार 1241 रिक्तियों के लिए 1241 अनुशंसित उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है और विज्ञापन संख्या 02/2017 के खिलाफ कोई और रिक्ति उपलब्ध नहीं है सिर्फ 16 शारीरिक रूप से विकलांगों को छोड़कर क्योंकि अनुपलब्धता के कारण बी. पी. एस. सी. द्वारा किसी भी नाम की अनुसंशा नहीं की गई थी। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 02/2017 के खिलाफ कोई और रिक्ति उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सभी 1241 अनुशंसित उम्मीदवारों को 1241 रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया है।

35. सड़क निर्माण विभाग द्वारा 13.08.2024 को पूरक जवाबी हलफनामा दायर किया गया था जिसमें विद्वान वकील स्पष्ट करते हैं कि विभाग का आवंटन एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया है जिसमें कुछ विसंगति देखी गई है। सड़क निर्माण विभाग की तरह, 236 रिक्तियों के लिए 259 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है, यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में की जाने वाली नियुक्ति में समायोजन करके इस तरह की विसंगति को दूर किया जाएगा।

36. ये सभी पक्षों की दलीलों के बारे में हैं।

37. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने **भारत संघ बनाम रमेश राम और अन्य (2010) 7 एससीसी 234** में रिपोर्ट किया गया मे उल्लिखित मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों और अनारक्षित उम्मीदवारों के संबंध में ऊर्ध्वाधर आरक्षण से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर अपना निवेदन देते हैं। रमेश राम (ऊपर) के अनुच्छेद संख्या 32 में कहा गया है:

“32. मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने और यूपीएससी परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के बीच एक स्पष्ट अंतर है क्योंकि बाद की परीक्षा विभिन्न सिविल सेवाओं में रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाती है। पूर्व के मामले में, सभी सफल उम्मीदवारों को एक शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने का समान लाभ मिलता है। हालांकि, बाद के मामले में सफल उम्मीदवारों को मिलने वाले लाभों में भिन्नताएं हैं क्योंकि वे अपनी पसंद की सेवा को सुरक्षित करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा भी कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, अधिकांश उम्मीदवार अधिमानताओं के लिए पूछे जाने पर पहली तीन सेवाओं [यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.), भारतीय विदेश सेवा (आई. एफ. एस.) और भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.)] में से कम से कम एक का विकल्प चुनते हैं। अधिकांश उम्मीदवार पहले विकल्प के रूप में आई. ए. एस. को पसंद करते हैं। इस संबंध में, एक आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार जिसने सामान्य सूची के हिस्से के रूप में अर्हता प्राप्त की हो उनको सामान्य श्रेणी में रिक्तियों के विरुद्ध निचली सेवा में नियुक्त करके नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि अगर उन्होंने अपने आरक्षित श्रेणी के दर्जे का लाभ उठाया होता, तो उन्हें उच्च अधिमानता की सेवा मिलती। इस तरह की विसंगति को रोकने के स्पष्ट इरादे के साथ, नियम 16 (2) में प्रावधान है कि एक एमआरसी उम्मीदवार को सामान्य कोटा या संबंधित आरक्षित श्रेणी कोटे के बीच चयन करने की स्वतंत्रता है।”

38. इस सवाल पर कि क्या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिन्हें योग्यता के आधार पर चुना जाता है, यानी एम. आर. सी. और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची में रखा जाता है, उन्हें सेवा आवंटन के समय आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माना जा सकता है, **रमेश राम** (ऊपर) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस के मामले में पहले के फैसले पर भरोसा किया है, जो (1976) 2 एस. सी. सी. 310 में रिपोर्ट किया गया था। एन. एम. थॉमस (ऊपर) के पैराग्राफ 26 में कहा गया है:

“26. उत्तरदाता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 16 (4) के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य पदोन्नति के संबंध में किसी भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार के हकदार नहीं थे। टी. देवदासन बनाम भारत संघ (टी. देवदासन बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 179) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण दिया गया था। जिन आरक्षित सीटों को नहीं भरा गया था, उनकी सीटें अगले वर्ष भी आगे बढ़ायी गयी थी। 'कैरी फॉरवर्ड' के आधार पर यह पाया गया कि इस तरह की आरक्षित सीटें समानता को नष्ट कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि 18 सीटें आरक्षित थीं और लगातार दो वर्षों तक आरक्षित सीटें नहीं भरी गईं और तीसरे वर्ष में 100 रिक्तियां थीं, तो परिणाम यह होगा कि 100 रिक्तियों में से 54 आरक्षित सीटों पर कब्जा कर लिया जाएगा। यह समानता को

नष्ट कर देगा। उस आधार पर देवदासन मामले (टी. देवदासन बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 17) में 'आगे ले जाने' का सिद्धांत को बरकरार नहीं रखा गया था। यही दृष्टिकोण एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य [एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 649] में भी लिया गया था। यह कहा गया था कि पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। इससे समानता सुनिश्चित होती है। राजेंद्रन मामले [ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 507] में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार आरक्षण एक संवैधानिक मजबूरी नहीं है, बल्कि विवेकाधीन है।”

39. **रमेश राम** (ऊपर) के पैराग्राफ 42 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“42. इसलिए, हमारी दृढ़ राय है कि एमआरसी उम्मीदवार जो नियम 16 (2) का लाभ उठाते हैं और अंततः आरक्षित श्रेणी में समायोजित किए जाते हैं, उन्हें कुल आरक्षण कोटा की गणना के उद्देश्य से आरक्षित पूल के हिस्से के रूप में गिना जाना चाहिए। इसलिए सामान्य पूल में एम. आर. सी. उम्मीदवारों द्वारा खाली की गई सीटों की पेशकश सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को की जाएगी। यह एकमात्र व्यवहार्य समाधान है क्योंकि इन सामान्य श्रेणी की सीटों (एमआरसी उम्मीदवारों द्वारा खाली) को अपेक्षाकृत कम रैंक वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित करने के परिणामस्वरूप कुल उपलब्ध सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण होगा। इसलिए, हम एम. आर. सी. उम्मीदवारों के आरक्षित श्रेणी में प्रवास में कोई बाधा नहीं देखते हैं।”

40. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने कहा कि यदि उत्तरदाता एमआरसी उम्मीदवारों को आरक्षित श्रेणी में स्थानांतरित करने की नीति का पालन करते हैं, तो विज्ञापित आरक्षण रोस्टर और आवंटित सीटों के बीच रिक्तियां होंगी, जिनमें 140 उम्मीदवार होते। यदि उन 140 उम्मीदवारों को चयन सूची में शामिल किया जाता, तो सामान्य श्रेणी के कोटे में कट-ऑफ का अंक कम हो जाता और याचिकाकर्ताओं को सेवा में चयन का मौका मिल सकता था।

41. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उम्मीदवारों को प्रपत्र-॥ के तहत निर्देश दिया गया था कि वे अपनी पसंद के विभागों को

भरें जिनके लिए उम्मीदवारों की अनुसंशा की जानी चाहिए। यदि उम्मीदवार कोई अनुसंशा नहीं भरता है, तो उसे किसी भी पद के लिए विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्ट रूप से प्रपत्र-॥ में एक चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणापत्र के रूप में कहा गया है, जो इस प्रकार है:

महत्वपूर्ण :- ऊपर्युक्त सारणी में अधिमानता कोड एवं विभाग का नाम का उल्लेख स्पष्ट रूप से करें तथा रिक्त कॉलम को स्पष्टतः क्रॉस (x) कर दें । जिस विभाग के पद/रिक्ति के लिए आपके द्वारा अधिमानता क्रम नहीं भरा जाएगा उस विभाग के पद/रिक्ति के लिए आपकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं उक्त विभाग का पद/रिक्ति मेधा क्रम मे आपसे नीचे स्थित उम्मीदवार को उनके द्वारा दी गई अधिमानता के आधार पर आवंटित कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है की यदि आपके द्वारा किसी भी विभाग के पद/रिक्ति के लिए अधिमानता नहीं अंकित की जाती है तो मेधा सूची मे रहने एवं विभाग का पद/रिक्ति उपलब्ध रहने के बावजूद भी आपको विभाग का पद/रिक्ति आवंटित नहीं किया जाएगा।

42. इसलिए, यह स्पष्ट है कि भर्ती का नियम एक सफल उम्मीदवार द्वारा विभाग की अधिमानता दिखाने वाले सभी पदों को भरने पर निर्भर करता है। यदि कोई उम्मीदवार किसी भी अधिमानता का सुझाव नहीं देता है या अपने विभाग को अधिमानता देने में विफल रहता है, तो उस पर ऐसे विभाग के लिए विचार नहीं किया जाएगा, और उक्त उम्मीदवारी योग्यता के आधार पर अगले उम्मीदवार के पास जाएगी। दूसरे शब्दों में, भले ही किसी उम्मीदवार का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है, उसे प्रपत्र-॥ के तहत अधिमानता प्रस्तुत करने में अपनी ओर से विफलता के कारण नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाता राज्य द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया है और अधिमानताओं पर विचार किए बिना, उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। यह स्पष्ट रूप से चयन के खेल के नियम से सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए एक व्यापक विचलन है, जिसकी चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अनुमति नहीं है।

43. अपने तर्क के समर्थन में, श्री राजेंद्र नारायण, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उस परिणाम का उल्लेख किया है जो 14 जुलाई, 2021 को प्रकाशित किया गया था (अनुलग्नक -4) जिसमें केवल योग्यता को आधार माना गया था और अधिमानता को दरकिनार कर दिया गया था। भर्ती की प्रक्रिया में अंतर्निहित भ्रांति यहीं समाप्त नहीं हुई। बी पी एस सी. ने 14 जुलाई, 2021 को योग्यता के आधार पर नोडल विभाग, यानी सड़क निर्माण विभाग को नाम भेजे, लेकिन नोडल विभाग ने अनुलग्नक-7 के माध्यम से अपनी वेबसाइट पर अधिसूचना जारी की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि, विभाग का आवंटन

योग्यता सह विकल्प पर आधारित होगा। सभी योग्य उम्मीदवारों को विभाग के ऑनलाइन विकल्पों का उल्लेख करना होगा। यद्यपि उक्त अधिसूचना को वापस नहीं लिया गया था, लेकिन इसे केवल इस आधार पर लागू नहीं किया गया था कि 2017 के अन्य विज्ञापन संख्या 3 के संबंध में इसी तरह की कवायद नहीं की गई थी।

44. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि प्रपत्र-11 में निहित भर्ती का पालन न करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकार का इस आधार पर उल्लंघन होता है कि यदि आरक्षित श्रेणी से कोई उम्मीदवार ऐसा करता है जिसने अनारक्षित श्रेणी में अर्हता प्राप्त की है, उसे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में अपनी पहली अधिमानता नहीं मिलती है, उसे अपनी पहली अधिमानता के विभाग के आवंटन के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना जाएगा। ऐसी स्थिति में, अनुसूचित जाति श्रेणी का अंतिम उम्मीदवार योग्यता सूची से बाहर हो जाएगा और रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में सृजित हो जाएगा, जिसे अनारक्षित श्रेणी के अगले उम्मीदवार द्वारा भरा जाना होगा, जिनके पास याचिकाकर्ताओं की तरह योग्यता-सूची में योग्यता नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार का चयन अनारक्षित श्रेणी में अपनी योग्यता के आधार पर किया जाता है, लेकिन अपनी पसंद का संकेत देने पर, उसे अनारक्षित श्रेणी के सफल उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जाएगा, तो वह अपने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के पास चला जाएगा, लेकिन उसके द्वारा की गई पसंद के लिए रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी में रहेगा। यदि बी पी एस सी ने योग्यता सह अधिमानता के आधार पर योग्यता-सूची बनाई होती, तो अनारक्षित श्रेणी में रिक्तियां होतीं, जिससे कट-ऑफ अंक में कमी आती।

45. जहां तक दृष्टांत की बात है, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रिट याचिका के पृष्ठ 50 पर अनुलग्नक-6 का उल्लेख करते हैं। उम्मीदवारों में से एक, काजल कुमारी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला, हालांकि उन्हें कट-ऑफ अंक से अधिक अंक मिले। उक्त उम्मीदवार पिछड़े वर्ग से थे। उन्हें 511 अंक मिला जबकि कट-ऑफ अंक 510 था, लेकिन उन्हें इस आधार पर नियुक्त नहीं किया गया था कि उन्होंने केवल बिहार पुलिस सेवा (पुलिस उपाधीक्षक) के पद के लिए अधिमानता दी थी। बिहार पुलिस सेवा (पुलिस उपाधीक्षक) में चयन के लिए उन्हें पर्याप्त अंक नहीं मिले और इसलिए अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद उनका चयन नहीं किया गया। यदि तत्काल मामले में विभाग की योग्यता सह अधिमानता ली गई होती, तो तत्काल चयन प्रक्रिया में भी यही शर्त होती।

46. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 13 अगस्त, 2024 को सड़क निर्माण विभाग द्वारा दायर पूरक जवाबी हलफनामे का उल्लेख करने का आग्रह किया है, जिसमें नोडल विभाग ने स्वीकार किया है कि विभाग का आवंटन एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था और

सड़क निर्माण विभाग में कुछ विसंगतियां देखी गई हैं कि 236 रिक्तियों में से 259 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है और सरकार द्वारा भविष्य में की जाने वाली नियुक्ति में समायोजन करके ऐसी विसंगति को हटा दिया गया है।

47. सड़क निर्माण विभाग की ओर से दिया गया उपरोक्त बयान निस्संदेह निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। रिक्ति से अधिक की मौजूदा नियुक्ति को भविष्य की रिक्ति से सरल कारण से समायोजित नहीं किया जा सकता है कि यह भविष्य के उम्मीदवारों के अधिकार को छीन लेगा जो भविष्य में पद के लिए पात्र होंगे। दूसरा, अभिकथन एक स्वीकारोक्ति की प्रकृति में है कि भर्ती के नियम का पालन नहीं किया गया था और 2017 के विज्ञापन संख्या 2 के आधार पर आयोजित परीक्षा के आधार पर सरकार के विभिन्न विभागों में अतिरिक्त या कम भर्ती की गई थी।

48. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके बाद 23 मई, 2022 को उत्तरदाता संख्या 1 और 8 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 11 का उल्लेख करते हैं। उक्त जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 11 और 12 में कहा गया है:

“11. यह कि योग्यता सह चयन के आधार पर विभागों को आवंटित करने की प्रक्रिया में, सिविल अपील सं. 8499/2012 ((सिविल) सं. 31979/2010 से उत्पन्न) आलोक कुमार पंडित बनाम असम राज्य और अन्य में पैरा सं. 21, 2010 की सिविल अपील सं. 4310-4311 (2008 की एस. एल. पी. (सी) सं. 13571-72 से उत्पन्न पैरा सं. 32 और 50 (i) (ii) और (iv) में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा निर्धारित को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया गया था और तदनुसार विभागों पर विचार किया गया था।

12. यह कि दी गई प्रक्रिया में, योग्यता और विकल्पों के आधार पर, आरक्षित श्रेणियों के कुछ उम्मीदवार जिन्होंने अनारक्षित (खुली) श्रेणी में अर्हता प्राप्त की थी, उन्हें उनकी आरक्षण श्रेणी में स्थानांतरित करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अनारक्षित श्रेणी में कई रिक्तियां शेष रह गईं क्योंकि आवंटन सफल उम्मीदवारों की सूची तक ही सीमित था।”

49. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि उपर्युक्त हलफनामे के बाद, उत्तरदाता यह नहीं कह सकते कि विचाराधीन चयन प्रक्रिया **रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई. एल. यमुल और अन्य (1996) 3 एस. सी. सी. 253 में और त्रिपुरारी शरण और अन्य**

बनाम रंजीत कुमार यादव और अन्य (2018) 2 एस. सी. सी. 656 में रिपोर्ट किए गए के सिद्धांत पर शासित थी। 50. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री पी. के. वर्मा प्रस्तुत करते हैं कि सड़क निर्माण विभाग द्वारा 2021 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 13498 में दायर जवाबी हलफनामे को सभी रिट याचिकाओं में राज्य उत्तरदाताओं की ओर से मामला माना जा सकता है। उपर्युक्त रिट याचिकाओं के खिलाफ सड़क निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए मामले को 6 अगस्त, 2024 के जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 4 में दर्शाया गया है।

51. जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने 14 जुलाई, 2021 को सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्ति के लिए 2017 के विज्ञापन संख्या 2 पर आयोजित चयन परीक्षा के अंतिम परिणाम को इस आधार पर रद्द करने का अनुरोध किया है कि उक्त परिणाम योग्यता सह विकल्प के आधार पर प्रकाशित नहीं किया गया था। इसके बाद, 2021 का आई.ए. सं. 1 दाखिल करके, याचिकाकर्ताओं ने राहत में संशोधन का अनुरोध करते हुए 25 अगस्त, 2021 को या उसके आसपास जारी सड़क निर्माण विभाग की अधिसूचना को रद्द करने की एक प्रार्थना जोड़ने के लिए अनुरोध किया है। 2021 के एक अन्य आई. ए. सं. 02 द्वारा, याचिकाकर्ताओं ने उन सभी उम्मीदवारों को पक्षकार बनाने की मांग की है जो वर्तमान रिट याचिका के परिणाम से प्रभावित हो सकते हैं। इस संबंध में, राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि सड़क निर्माण विभाग (आर. सी. डी.) लोक स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और कुछ अन्य निर्माण विभाग के संबंध में केवल एक नोडल विभाग है। सड़क निर्माण विभाग उन विभागों के संबंध में बी पी एस सी. द्वारा भेजे गए चयनित उम्मीदवारों के नाम को व्यक्तिगत रूप से संप्रेषित करने और अग्रेषित करने के लिए बाध्य है।

52. प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाता (सड़क निर्माण विभाग) द्वारा यह भी कहा गया है कि इससे पहले कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया जा सकता था, हालांकि 15 मई, 2024 को पारित न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एक हलफनामा तैयार किया गया था और शपथ ली गई थी, लेकिन उसे दायर नहीं किया गया था क्योंकि इसमें तथ्यों का वास्तविक विवरण नहीं था, जिन्हें उचित निर्णय के लिए अदालत के संज्ञान में लाने की आवश्यकता थी। इससे पहले 2022 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 1945 में, एक तीसरा जवाबी हलफनामा दायर किया गया था, लेकिन तथ्यों को विस्तार से नहीं बताया जा सका था। 15 मई, 2024 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:—

“1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा की गई प्रार्थना पर 2021 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 13498 और 2022 की सी.

डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 1945, 2023 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3389 को भी उपर्युक्त दो रिट याचिकाओं के साथ लिया जाता है, क्योंकि जिन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत 2023 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3389 दायर की गई है, वे उपर्युक्त दो रिट याचिकाओं के समान हैं।

2. इसलिए, 2023 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3389 को उपरोक्त दो रिट याचिकाओं के साथ लिया जाता है।

3. तीनों रिट याचिकाएं इस मुद्दे से संबंधित हैं कि क्या 2017 के विज्ञापन संख्या 02 के अनुसार सहायक अभियंता (सिविल इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा) में चयनित उम्मीदवारों की अनारक्षित श्रेणियों के कट-ऑफ अंकों में कोई बदलाव होगा, क्यों कि आरक्षण नीति के अनुसार, यदि किसी अनारक्षित उम्मीदवार का पद आरक्षित मेधावी आरक्षित उम्मीदवारों (एम. आर. सी.) द्वारा लिया जाता है और विभाग की अधिमानताएं जमा करने के बाद, एम. आर. सी. आरक्षित उम्मीदवार (आर. सी.) के पद पर स्थानांतरित हो जाएगा, तो अनारक्षित उम्मीदवारों के संबंध में कट-ऑफ अंक में बदलाव होगा।

4. मामले की सुनवाई के दौरान, श्री साही, 2022 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 1945 में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, उत्तरदाता संख्या 1 और 8 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 12 का उल्लेख करते हैं, अर्थात् बिहार राज्य और उप सचिव (प्रबंधन प्रकोष्ठ), सड़क निर्माण विभाग, बिहार सरकार, पटना। जवाबी हलफनामे का अनुच्छेद 12 इस प्रकार है:

“12. यह कि दी गई प्रक्रिया में, योग्यता और विकल्पों के आधार पर, आरक्षित श्रेणियों के कुछ उम्मीदवार जिन्होंने अनारक्षित (खुली) श्रेणी में अर्हता प्राप्त की थी, उन्हें उनकी आरक्षण श्रेणी में स्थानांतरित करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अनारक्षित श्रेणी में कई रिक्तियां खाली रहीं, क्योंकि आवंटन सफल उम्मीदवारों की सूची तक ही सीमित था।”

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक उनकी जानकारी है, 122 या उससे अधिक रिक्तियां थीं जो उम्मीदवारों द्वारा दी गई अधिमानता/पसंद के अनुसार किसी

विशेष विभाग में नियुक्ति के समय एम. आर. सी. और यू. आर. उम्मीदवारों के बीच अंतःक्रिया के कारण हुई थीं।

6. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि राज्य सरकार को सहायक अभियंताओं (सिविल) की सेवा में शेष रिक्तियों की वास्तविक संख्या के साथ आना चाहिए, जिनकी परीक्षा और चयन 2017 के विज्ञापन संख्या 2 के आधार पर किया गया था।

7. इतनी संख्या में रिक्तियों की गणना करने के बाद, राज्य सरकार को अनारक्षित श्रेणी के संशोधित कट-ऑफ अंक के साथ आना चाहिए। इस तरह के कट-ऑफ अंक का आकलन करने में राज्य सरकार बिहार लोक सेवा आयोग (बी. पी. एस. सी.) की विशेषज्ञता की मदद लेने के लिए स्वतंत्र है।

8. राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह छुट्टी के बाद दो सप्ताह के भीतर शपथ पत्र पर उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करे और मामले को आंशिक सुनवाई के रूप में माना जाए।

9. अंतिम सुनवाई के लिए मामला 2 जुलाई, 2024 को तय किया जाए।”

53. उक्त आदेश के अनुपालन में सड़क निर्माण विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया

है:-

“क. बी. पी. एस. सी. द्वारा 2017 के विज्ञापन संख्या 2 के अनुसार सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए चयन किया गया था जो विभिन्न कार्य विभागों द्वारा अलग से की गई रिक्तियों की मांग पर आधारित था, अर्थात् (i) आर. सी. डी.-236, (ii) पी. एच. ई. डी.-64, (iii) एम. डब्ल्यू. आर. डी.-31 (iv) डब्ल्यू. आर. डी.-284, (v) बी. सी. डी.-122 (vi) आर. डब्ल्यू. डी.-250 और (vii) योजना और विकास विभाग-270।

इस प्रकार, संबंधित विभागों के लिए बी. पी. एस. सी. द्वारा जिन रिक्तियों के लिए नामों की अनुसंधान की जानी थी, उनकी कुल संख्या 1257 थी। अध्यायना करते समय विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण की सूची को अलग-अलग विभागवार बनाया गया था।

(ख) बी. पी. एस. सी. ने चयन प्रक्रिया शुरू करने के बाद अपनी संशोधित अनुसंशा दिनांक 24.08.2021 के अनुसार 16 शारीरिक रूप से विकलांग (पी. एच.) उम्मीदवारों की अनुपलब्धता बताते हुए 1257 रिक्तियों के विपरीत 1241 उम्मीदवारों के कुल के नामों की श्रेणी के अनुसार, अनुसंशा की। हालाँकि, अनुसंशा न तो विभागवार की गई थी और न ही उम्मीदवारों द्वारा फॉर्म-॥ में की गई पसंद/अधिमानता के बाद की गई थी।

(ग) वे सभी विभाग जिन्होंने चयन और अनुसंशा के लिए बी. पी. एस. सी. से अपनी अलग मांग की थी, वे स्वतंत्र और अलग-अलग विभाग हैं और सहायक अभियंता (सिविल) का संवर्ग उन विभागों में से प्रत्येक में अलग-अलग संवर्ग हैं।

(घ) चूंकि आर. सी. डी. को नोडल विभाग बनाया गया था, इसलिए बी. पी. एस. सी. की उक्त अनुसंशा को सभी विभागों को आवंटन के लिए आर. सी. डी. को भेजा गया था। आर. सी. डी. को केवल अनुसंशा किए गए उम्मीदवारों को संबंधित विभागों की नियुक्ति के लिए आवंटित करने की आवश्यकता थी, लेकिन जैसा कि बी. पी. एस. सी. के लिए उनकी अनुसंशा नहीं की गई थी, इसलिए योग्यता-सह-पसंद/अधिमानता के अनुसार प्रक्रिया करने के बाद नाम विभागवार थे, जैसा कि आवश्यक था, आर. सी. डी. को विभाग के आवंटन के उद्देश्य से अनुसंशित उम्मीदवारों द्वारा की गई योग्यता-सह-पसंद/अधिमानता के अनुसार प्रक्रिया करनी थी।

(ई) यह प्रस्तुत करना प्रासंगिक है कि 719 (16 पी. एच. उपलब्ध नहीं दिखाया गया) के समेकित अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध कुल 703 उम्मीदवारों की अनुसंशा की गई थी। अनारक्षित उम्मीदवारों की 703 की इस सूची (अनुलग्नक-बी) में मेधावी आरक्षित श्रेणी (एम. आर. सी.) के उम्मीदवार भी शामिल थे, इसके अलावा अनुसूचित जाति के 147 रिक्तियों के लिए 147 उम्मीदवारों, अनुसूचित जनजाति के रिक्तियों के लिए 4 उम्मीदवारों, ई. बी. सी. के 230 रिक्तियों के लिए 230 उम्मीदवारों, बी. सी. के 92 रिक्तियों के लिए 92 उम्मीदवारों और बी. सी. महिला के 65 रिक्तियों के लिए 65 उम्मीदवारों की

अनुसंशा की गई थी। स्पष्ट रूप से, उपरोक्त संख्याएँ ऊपर उल्लिखित विभागों से अलग-अलग 7 रिक्तियों की समेकित संख्याएँ हैं।

(च) व्यक्तिगत उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत उनकी योग्यता सह पसंद/अधिमानता के आधार पर उम्मीदवारों को विभाग आवंटन करते समय, एम. आर. सी. अर्थात् आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनसे वह एम. आर. सी. मूल रूप से संबंधित थे, पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार भी विचार किया गया था। तदनुसार, विभाग को अपनी आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार की तुलना में एमआरसी उम्मीदवार द्वारा दी गई अधिमानता की अनुमति योग्यता सूची में प्राप्त अंकों के आधार पर दी गई थी। ऐसा करते समय अनारक्षित श्रेणी के तहत 124 एम. आर. सी. को उनकी आरक्षित श्रेणी के अनुसार विभाग का विकल्प दिया गया था। तदनुसार आरक्षित श्रेणी से संबंधित उन संबंधित उम्मीदवारों को उक्त एम. आर. सी. द्वारा छोड़ दिया गए विभागों को दिया गया।

(छ) एन. आई. सी. द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से योग्यता-सह-विकल्प/अधिमानता के आधार पर विभाग के आवंटन के बाद, सभी 1241 अनुशंसित उम्मीदवारों को संबंधित विभागों द्वारा नियुक्ति दी गई थी। इन 1241 उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र वर्ष 2021-22 में ही जारी किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप वे संबंधित विभागों में अपने पदों पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं और पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे हैं। इस प्रकार वास्तव में सहायक अभियंता (सिविल) के पद के लिए विज्ञापन संख्या 02/2017 के तहत कोई रिक्ति भरी जाने के लिए नहीं बची है, सिवाय पीएच उम्मीदवारों के लिए 16 को छोड़कर, जिसकी अनुपलब्धता के कारण बीपीएससी द्वारा अनुसंशा नहीं की गई थी।”

54. श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि **रमेश राम** (उपरोक्त) का अनुपात मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। तत्काल मामले में परीक्षा केवल एक कैडर और समान वेतनमान और स्थिति वाले सहायक अभियंताओं के पद के संबंध में आयोजित की गई थी। रमेश राम का निर्णय यू. पी. एस. सी. परीक्षा से संबंधित है जिसमें पदों के विभिन्न संवर्गों को भरने की आवश्यकता होती है जैसे, आई.ए.एस., आई.एफ.एस., आई.पी.एस., संबद्ध केंद्रीय सेवाएँ और यहाँ तक कि समूह-बी सेवाएँ जिनमें विभिन्न संवर्ग शामिल हैं। ऐसी परीक्षा में, यदि अधिमानता आधारित आवंटन और एम. आर. सी. के आधार

पर योग्यता-सूची का वितरण और अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा एम. आर. सी. द्वारा ली गई रिक्त सीटों को भरने को विचार में नहीं लिया जाता है तो आरक्षण के सिद्धांतों के संबंध में स्थिति उलट पुलट हो जाएगी।

55. हालांकि, तत्काल मामले में स्थिति अलग है। इसलिए, *रितेश आर. साह और त्रिपुरारी शरण* (दोनों ऊपर) में निर्धारित निर्णय को लागू किया जाना चाहिए।

56. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय की खंड पीठ के *2020 की सिविल समीक्षा संख्या 21 (कुमार गौरव सिंह और अन्य बनाम बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य) के एल.पी.ए. सं. 519/2023* में एक गैर-सूचित निर्णय पर अपनी निर्भरता रखी है। उक्त मामले में, इस न्यायालय की खंड पीठ को उपरोक्त सभी निर्णयों पर विचार करने का अवसर मिला और यह अभिनिर्धारित किया कि *रितेश आर. साह और त्रिपुरारी शरण* (दोनों ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू होते हैं।

57. *कुमार गौरव सिंह और अन्य बनाम बिहार कर्मचारी चयन आयोग और अन्य* (उपर्युक्त) में इस न्यायालय की खंड पीठ के पास आरक्षण के सवाल और इसे 50 प्रतिशत तक सीमित करने के जनादेश से निपटने का अवसर था ताकि योग्यता से समझौता न किया जा सके। मामले के तथ्यों पर इस सिद्धांत को लागू करने के परिणामस्वरूप एमआरसी को उनकी पसंद के जिले दिए गए, जो केवल उनकी उच्च योग्यता के कारण संभव थे, जिससे परिणामी रिक्तियों में मेधावी सामान्य उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए आरक्षित उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया।

58. उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय की खंड पीठ ने *रितेश आर. साह (ऊपर), त्रिपुरारी शरण (ऊपर), डेगा वेंकट हर्ष वर्धन बनाम अकुला वेंकट हर्षवर्धन [(2019) 12 एस. सी. सी. 735]*, जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है और *भारत संघ बनाम रमेश राम (ऊपर) और उसके बाद आलोक कुमार पंडित बनाम असम राज्य [(2012) 13 एस. सी. सी. 516]*, जो सिविल सेवाओं में नियुक्ति से संबंधित है जिस में निर्धारित अनुपात की प्रयोज्यता पर विचार किया था।

59. इस चरण में यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि खंडपीठ के समक्ष उपरोक्त मामले में जो सवाल उठाया गया था, वह यह है कि क्या एमआरसी को उनकी योग्यता के आधार पर उनकी पसंद के जिले मिले हैं, जिससे रिक्तियों के परिणामस्वरूप मेधावी सामान्य उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए आरक्षित उम्मीदवारों को हटा दिया जाएगा। फैसले के पैराग्राफ 23 में, इस अदालत की खंडपीठ ने निम्नानुसार निर्णय दिया:—

“23. तत्काल चयन कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के तहत कृषि समन्वयक के पद के लिए था। विज्ञापन की एक प्रति सिविल समीक्षा मामलों में अनुलग्नक-1 के रूप में प्रस्तुत की जाती है जिनसे अपीलें उत्पन्न होती हैं। बार में एक अनुवादित प्रति भी प्रस्तुत की गई थी। विज्ञापन रिक्तियों और आरक्षण कोटा जैसे विभिन्न श्रेणियों के लिए ऐसे आरक्षण के हकदार पात्र की संख्या इंगित करता है। अलग-अलग जिलों में रिक्तियों के विवरण की गणना करते हुए, विज्ञापन प्रत्येक जिले में कुल स्वीकृत पदों को इंगित करता है जिनमें से आरक्षण कोटा और सामान्य कोटा को अलग किया गया था और अलग से दिखाया गया था। यह वह संदर्भ है जिसमें उम्मीदवारों को 38 जिलों के संबंध में अपना विकल्प देना आवश्यक था। विज्ञापन में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि जो उम्मीदवार अपना विकल्प नहीं देंगे, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार जिला आवंटित किया जाएगा। इसलिए, जैसा कि रमेश राम (ऊपर) में दिया है, उन सेवाओं में लाभों में कोई असमानता नहीं है जिनके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रयोग किया जाने वाला विकल्प सेवा के संबंध में भी नहीं है; जो वर्तमान मामले में केवल एक संवर्ग पद है, और विशेष रूप से जिले के आवंटन के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक पदों का संबंध है, कोई जिला संवर्ग नहीं है और विज्ञापन में दिए गए आरक्षण के तौर-तरीकों से यह संकेत नहीं मिलता है कि चयनित जिलों में 'एम. आर. सी.' उम्मीदवारों के लिए आरक्षण पद में कोई समायोजन किया जा रहा है और इस प्रकार, कम योग्य आरक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से वंचित किया जा रहा है।”

60. खंडपीठ ने भर्ती नियम, यानी कृषि समन्वयक संवर्ग (भर्ती और सेवा शर्तें) नियम, 2014 की भी जांच की। कृषि समन्वयक को ऐसे कार्मिक के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रखंड स्तर से नीचे कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग देते हैं; जो इसे राज्य संवर्ग बनाता है। खंडपीठ ने उक्त नियम और सी.एस.ई. नियम, 2005 के नियम 16 (2) के बीच स्पष्ट अंतर पाया और कहा कि कृषि समन्वयक संवर्ग नियम, 2014 में नियम 16 (2) के समान कोई नियम नहीं है।

61. वास्तव में, इस तरह के नियम की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जहां तक उस पद की पहचान है जिसमें नियुक्ति चिकित्सा पाठ्यक्रम में किए गए प्रवेश के समान की जाती है। जिला-वार

विकल्प नियुक्त व्यक्ति को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं देता है, जिसे उसके गृह जिले या उसके अधिवास जिले के पास के जिले में समायोजित किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, कृषि समन्वयक संवर्ग नियम, 2014 में, एम.आर.सी. को सी.एस.ई. नियम, 2005 के नियम 16 (2) के अनुसार संवर्ग के भीतर केवल जिलों का विकल्प दिया गया था, जो संघ और अन्य सेवाओं के तहत आई.ए.एस., आई. एफ. एस., आई. पी. एस. और संबद्ध सिविल सेवाओं जैसे विभिन्न संवर्गों के संबंध में यू. पी. एस. सी. द्वारा आयोजित सामान्य परीक्षा से संबंधित है। इसलिए, यूपीएससी परीक्षा विभिन्न संवर्गों, विभिन्न वेतनमान और अलग-अलग पदानुक्रम वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोजित की जाती है।

62. ऐसी परिस्थितियों में, **रमेश राम** (उपर्युक्त) में निर्धारित सिद्धांत ऐसी परीक्षा में लागू होता है। हालांकि, कृषि समन्वयक के मामले में, उच्च योग्यता वाले व्यक्ति को उसके वैकल्पिक जिले के लिए विचार जाएगा और यह उस संदर्भ में है कि एमआरसी उम्मीदवार जिन्हें योग्यता के आधार पर कृषि समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाएगा, उन्हें आरक्षित रिक्ति में उसके वैकल्पिक जिले में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो उसे किसी राज्य की सेवा में कोई अतिरिक्त लाभ या कथित उच्च दर्जा नहीं देता है। यह सुविधा का एक नियम है ताकि मेधावी उम्मीदवार को अपने विकल्प का एक जिला प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप स्थिति अलग हो जाती है, जब एक मेधावी उम्मीदवार को प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर एक अलग स्थिति वाली उच्च सेवा की अनुमति दी जाती है। यदि उस सेवा में जिसमें नियुक्ति की जाती है स्थिति की पहचान की घटना में, आरक्षित रिक्ति को उसकी पसंद के जिले को आवंटित एमआरसी उम्मीदवार द्वारा भरा गया माना जाता है, तो यह आरक्षित उम्मीदवार से संबंधित एमआरसी उम्मीदवार की योग्यता को समाप्त कर देगा। इसलिए, जब उस जिले में प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर एक काल्पनिक समायोजन किया जाता है, जहां तक नियुक्ति की जानी है, तो बिंदु का प्रवास केवल एमआरसी उम्मीदवार के खिलाफ होता है, और कम योग्यता वाले आरक्षित उम्मीदवार के साथ-साथ एमआरसी उम्मीदवार के प्रवास द्वारा बनाई गई रिक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपरोक्त तर्क पर, खंड पीठ ने पाया कि **रामेश राम (ऊपर) का सिद्धांत लागू नहीं होगा और रितेश आर. साह और त्रिपुरारी शरण** (दोनों ऊपर) का स्पष्ट रूप से लागू होगा।

63. बी.पी.एस.सी. की ओर से प्रस्तुत विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **कुमार गौरव सिंह** (उपरोक्त) के खंड पीठ के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि परीक्षा सहायक अभियंता (सिविल) के एक संवर्ग के संबंध में आयोजित की गई थी। उनकी योग्यता के अनुसार, उन्हें केवल योग्यता के आधार पर एक विशेष विभाग पर अधिकार करने का मौका मिला। उदाहरण के लिए, यदि किसी एम. आर. सी. का विचार है कि सड़क निर्माण विभाग उसके

लिए सबसे अधिक तरजीही विभाग है और उसकी योग्यता के आधार पर वह सड़क निर्माण विभाग में नियुक्त होने का हकदार है, तो उसे उस विभाग में नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परिणामी रिक्ति अनारक्षित पूल में कम मेधावी उम्मीदवार के पास जाएगी।

64. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुनने के बाद, यह न्यायालय शुरुआत में यह दर्ज करना पसंद करता है कि कोई भी प्रतियोगी पक्ष इस बात से इनकार नहीं करता है कि **इंद्र साहनी** मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के संदर्भ में आरक्षण कोटा 50 प्रतिशत तक बढ़ेगा।

65. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि **रितेश आर. साह** (ऊपर) और त्रिपुरारी शरण (ऊपर) दोनों एमआरसी, आरक्षित उम्मीदवारों और अनारक्षित उम्मीदवारों के बीच मेडिकल कॉलेजों में सीटों के निर्धारण के बिंदु पर निर्णय हैं। उपर्युक्त निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए दिए गए थे कि किसी भी प्रतियोगी पक्ष को उनके कट-ऑफ अंक प्राप्त करने के आधार पर देश के मेडिकल कॉलेज में मौका देने से इनकार नहीं किया जाएगा। आपसी विवाद एम. आर. सी. द्वारा अधिमानता महाविद्यालय में प्रवेश के संबंध में है।

66. उपर्युक्त दोनों मामलों में, चयनित उम्मीदवारों ने अलग-अलग संस्थाओं या संवर्गों का गठन नहीं किया।

67. हालांकि, तत्काल मामले में, हालांकि बी. पी. एस. सी. द्वारा चयनित सहायक अभियंता (सिविल), जिसे अलग-अलग विभागों के लिए चुना गया था जिससे अलग-अलग कैडर का गठन हुआ था। दूसरे शब्दों में, आर. सी. डी. का संवर्ग जल संसाधन विभाग के संवर्ग के समान नहीं है। **रमेश राम** (उपरोक्त) में, यूपीएससी परीक्षा विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न संवर्गों का गठन किया गया था। तत्काल मामले में भी, अलग और जिला कैडर पदों के लिए एक सामान्य परीक्षा आयोजित की गई थी और इन मामलों के तथ्य **रितेश आर. साह या त्रिपुरारी शरण** (दोनों ऊपर) के समान नहीं हैं।

68. 2017 के विज्ञापन संख्या 2 के आधार पर, विभिन्न विभागों में सेवा के संबंध में उम्मीदवारों का विकल्प मांगा गया था। एम. आर. सी. अलग और विशिष्ट संवर्ग का गठन करते हुए अपने अधिमान्य विभागों में नियुक्त होने के हकदार थे। यदि इस तरह की प्रक्रिया की जाती, तो खाली आरक्षित श्रेणी में याचिकाकर्ताओं जैसे अनारक्षित उम्मीदवारों का स्वतः मार्च होता। ऐसी स्थिति में, कट-ऑफ मार्क

अपने आप कम हो जाएगा। न तो राज्य सरकार और न ही बी. पी. एस. सी. ने इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न विभागों में लगभग 140 सीटें खाली हो गईं।

69. ऊपर बताए गए कारणों से, इस न्यायालय का विचार है कि **रमेश राम** (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत तत्काल मामले में स्पष्ट रूप से लागू होगा।

70. तदनुसार, सभी रिट याचिकाओं को चुनौती पर अनुमति दी जाती है।

71. उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे **रमेश राम** (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में अंतिम चयन सूची पर फिर से विचार करें और इस आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर अनारक्षित उम्मीदवार के लिए कट-ऑफ अंक को फिर से लिखें। इसके बाद, नई सूची को उम्मीदवारों की नियुक्तियों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष रखा जाना है।

72. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह की प्रक्रिया करते समय, राज्य सरकार उन उम्मीदवारों की सेवा में बाधा नहीं डालेगी जिन्हें पहले से ही बी. पी. एस. सी. द्वारा प्रकाशित उनकी चयन सूची के आधार पर विभिन्न विभागों में सहायक अभियंता (सिविल) के रूप में नियुक्त किया जा चुका है।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

एसकेएम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।